

फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014, के धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति, नगर परिषद बेनीपुर द्वारा पथ विक्रेता से संबंधित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्रमांक सं०	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सकें
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजीकरण	<ol style="list-style-type: none"> परिवार का फोटो फुटपाथ विक्रेता का फोटो आधार कार्ड की प्रतिलिपि मोबाईल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण 	निःशुल्क	7 दिन	समुदायिक संगठक / नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
2	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु	<ol style="list-style-type: none"> SULM वेबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी 	निःशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छ महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
3	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	<ol style="list-style-type: none"> SULM वेबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी 	निःशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छ महीने की	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

				अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।		
4	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय पहचान/प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	1. पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु-500 /रु०	दो महीने के अंदर	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
5	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु	1. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज के आधार पर	50/रु०	7दिन	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

अध्यक्ष,

22/11/2020

नगर विक्रय समिति,
नगर परिषद बेनीपुर दरभंगा।